

ज

उत्तर
देकर

मजदूर
पत्र

उप
परिषद
पत्रिका
के
द्वारा
जारी

उप
परिषद
के
द्वारा

उप
परिषद

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम, जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

11/7/25 रावली के हंडी अवि व कर्षा के लिए
अनुपस्था का मूल वाद का विनिर्णय किया
जाता है। खरिज किया जा चुका है।
अनुपस्था के आगे चलाने का
कारि अविपक्ष नहीं है। अथवा अनुपस्था
शरत पर कि दिनांक 04.08.2025 के पारी
अनुपस्था निष्पत्ता की खरिज किया जाता
है। रावली विनिर्णय के अनुसार हुकम
है। विनिर्णय पुनरावलोकन



उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

